न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :— 12/2013 तारीख रजू :— 29.04.2013

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

1.	केशवचन्द	पिसरान त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी महूखास
2.	घनश्याम	हाल निवासी हिण्डौन जिला करौली ———— प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :— 28-4-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा प्रार्थीगण के पिता त्रिलोकचन्द व प्रार्थी सं01 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी वाके तन ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता त्रिलोकचन्द का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थीगण ही त्रिलोकचन्द के जायज कानूनी वारिस हैं। जो उनके तर्के पर काबिज हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात को काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा के भू—प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नम्बर 120 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 कायम [illegible] जो गत रकबा से करीब साढे चार एयर भूमि कम जं की है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि साबिक भूमि खसरा नम्बर 65/1 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम महूखास रामखिलाडी पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी महूखास के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी, रामखिलाडी फौत हो गया है तथा सालिगराम ही रामखिलाडी का एक मात्र जायज कानूनी वारिस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.23 11:28:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि साविक भूमि खसरा नम्बर 65/2 रकबा 15 बिस्वा वाके तन ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन हरमुख पुत्र नानगा व रामखिलाडी नवल पि0 गिर्राज के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि थी। हरमुख फौत हो चुका है तथा नवल लाऔलाद फौत हो चुका है तथा हरमुख का एक मात्र जायज कानूनी वारिस रामावतार पुत्र हरमुख है, जो हरमुख के तर्के पर काबिज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 65/1 रकबा 3 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 174 रकबा 8 एयर तथा साबिक खसरा नम्बर 65/2 रकबा 15 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 70 को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 0.28 है0 कायम किया है, जो गत रकबा से करीब साढे तेरह एयर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के गत खसरा नम्बर 66 में से सवा चार एयर जमीन कम कर तथा गत खसरा नम्बर 70 में से करीब सवा नो एयर जमीन मिलाकर हाल खसरा नम्बर 174 रकबा 8 एयर तथा हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 28 एयर कायम कर दिया। जबकि साबिक खसरा नम्बर 65/1 व 65/2 की कुल जमीन साढे बाईस एयर होनी चाहिए थी। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने प्रार्थीगण की साबिक भूमि खसरा नम्बर 66 में से सबा चार एयर भूमि कम कर नया खसरा नम्बर 174 रकबा 8 एयर प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ मुख्य सडक हिण्डौन महवा मार्ग की तरफ सालिगराम पुत्र रामखिलाडी जाट की खातेदारी में दर्ज कर दिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि रामखिलाडी ने भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से साज कर प्रार्थीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 66 से बने हाल खसरा नम्बर 129, 173 के पश्चिम दिशा की तरफ प्रार्थीगण की गत रकबा के सबा चार एयर भूमि कम दर्ज कराकर गत खसरा नम्बर 65/1 रकबा 3 बिस्वा की जगह पोने चार एयर होना चाहिए तथा जो 8 एयर रकबा हाल खसरा नम्बर 174 में दर्ज करवा लिया। जो गत रकबा से सबा चार एयर भूमि ज्यादा दर्ज है तथा साबिक ट्रेस के मुताविक हाल ट्रेस छोटा करवा दिया। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को प्रार्थीगण के गत रकबा के मुताविक सबा चार एयर भूमि कम दर्ज कर नक्शा ट्रेस छोटा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने रिकार्ड ऑफ राईट्स की पवित्रता को ही नष्ट कर दिया।

Signature Not Ver
Digitally signed by An
Date: 2022.06.23 11:2
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध विभाग की उक्त गलती से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 173 व 129 में से हिण्डौन महवा मुख्य

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

डक पर आने जाने का रास्ता ही बन्द हो जावेगा तथा प्रार्थीगण को काफी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पडेगा।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि उक्त प्रमाण में ऐसी कोई रेलीफ नहीं चाही गई है जो उक्त प्रार्थना पत्र की परिधि में नहीं आती हो।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फरमाया जाकर प्रार्थीगण के साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा के बने हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 8 एयर व 173 रकबा 19 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 तन ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में साबिक खसरा नम्बर 65/1 रकबा 3 बिस्वा के बने हाल खसरा नम्बर 174 रकबा 8 एयर में से सबा चार एयर भूमि कम दर्ज कर प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 129 रकबा 8 एयर व 173 रकबा 19 एयर में शामिल कर गत रकबा के बराबर सबा इकत्तीस एयर भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावें तथा साबिक ट्रेस के मुताविक हाल ट्रेस व अमल दरामद करने के आदेश लैण्ड होल्डर तहसीलदार को फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 रिकोर्ड के अनुसार होने से स्वीकार योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 में इस हद तक स्वीकार है कि खसरा नम्बर 66 साबिक के वर्तमान में खसरा नम्बर 129 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 कायम किये हैं, जो प्रार्थी की भूमि 1 बीघा साबिक खसरा नम्बर 66 से रकबा 0.02 है0 अधिक है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 रिकार्ड अनुसार स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 आंशिक स्वीकार है कि हरमुख फौत हो चुका है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05,6,7,8, में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05,6,7,8 स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09,10,11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं09,10,11 कानूनी हैं।

प्रार्थी को कोई अनुतोष दिया जाना बाजिव नहीं है। प्रार्थीगण 27 वर्ष बाद गलत तथ्य प्रस्तुत कर दुरूस्ती चाहता है, जो खारिज योग्य है।

Signature Not Ver
Digitally signed by An
Date: 2022.06.23 11:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा, नकल जमाबन्दी साबिक नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41, नकल जमाबन्दी सं0 2062–65, नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 किता 2, नकल मिलान क्षेत्रफल किता 2, नकल नक्शा ट्रेस हाल व साबिक नम्बरान पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा की खातेदारी त्रिलोक चन्द पुत्र जमनीलाल व केशवचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है किन्तु उक्त जमाबन्दी किस ग्राम की है तथा कौनसे सम्बत् की है, जमाबन्दी में कहीं अंकन नहीं है इसलिए उक्त जमाबन्दी पाठ्य योग्य नहीं है।

नकल जमाबन्दी साबिक नम्बरान की पेश की गई है। जमाबन्दी किस ग्राम की है तथा कौनसे सम्बत् की है, जमाबन्दी में कहीं अंकन नहीं है इसलिए उक्त जमाबन्दी पाठ्य योग्य नहीं है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 65/1 रकबा 3 बिस्वा ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामखिलाडी पुत्र गिर्राज जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 के अनुसार खसरा नम्बर 129 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है0 वा[illegible] महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी त्रिलोक चन्द पुत्र [illegible] व केशवचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द हिस्सा1/2 जाति महाजन सा0 [illegible]

नकल जमाबन्दी सं0 2066–69 के अनुसार खसरा नम्बर 174 र[illegible] 0.08 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामप्यारी बेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.23 11:28:4
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामखिलाडी सालिगराम पुत्र रामखिलाडी जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नम्बरान के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
66 मिन	1 बीघा	129 173	0.08 है0 0.19 है0
65/1	3 बिस्वा	174	0.08 है0

नकल नक्शा ट्रेस हाल व साबिक नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर सेटिलमेन्ट विभाग ने सही रिकार्ड कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 66 रकबा 1 बीघा के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 129 रकबा 0.08 है0, 173 रकबा 0.19 है0 सही कायम किये गये हैं। जो साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से भी सेटिलमेन्ट विभाग ने सही नक्शा सीट कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण जिस खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 ग्राम महूखास में से रकबा सबा चार एयर चाहता है उसकी खातेदारी रामप्यारी बेबा रामखिलाडी सालिगराम पुत्र रामखिलाडी जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसको प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुख्श आरिज होने के कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.08 है0 ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 28-11-[illegible] को लिखाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.23 11:28:40 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)